छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण

पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर, राजभवन के पास, जी.ई.रोड, रायपुर (छत्तीसगढ़)
फोन नं. 0771–4099953, Website :cssda.cg.nic.in, Email :cgcssdm@gmail.com

क्रमांक /1719/ छराकौविप्रा / स्था. / 2018 रायपुर, दिनांक 13 / 03 / 2018

प्रति,

कलेक्टर सह अध्यक्ष,
जिला कौशल विकास प्राधिकरण,
समस्त जिला (छ0ग0)

विषय :— **व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं (VTPs) के प्रशिक्षकों का न्यूनतम मानदेय निर्धारित करने के संबंध में क्रियान्वयन एवं अनुपालन हेतु दिशा–निर्देश जारी करने बाबत्।**

———00———

उपरोक्त विषयान्तर्गत छ0ग0 शासन, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर का पत्र क्रमांक एफ 5–125 / 2017 / कौ.वि. / 42 नया रायपुर दिनांक 05 / 03 / 2018 द्वारा प्राप्त स्वीकृति अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण के द्वारा संचालित कौशल प्रशिक्षण योजना अन्तर्गत व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं (VTPs) के प्रशिक्षकों का न्यूनतम मानदेय निर्धारित करने के संबंध में क्रियान्वयन एवं अनुपालन हेतु निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी की जाती है :–

- छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण अन्तर्गत राज्य में संचालित शासकीय / अशासकीय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं (VTPs) के प्रशिक्षकों का न्यूनतम मानदेय Pro-rata (समानुपातिक) के आधार पर प्रतिमाह राशि ₹ 12000 / – देय होगी।
- एक माह से कम या अधिक होने की स्थिति में प्रशिक्षक के न्यूनतम मानदेय का निर्धारण प्रति दिवस के आधार पर गणना कर राशि देय होगी।
- प्रशिक्षकों को मानदेय के व्ययभार का वहन व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं (VTPs) के द्वारा प्रशिक्षण लागत की राशि में से भुगतान किया जाएगा।
- प्रशिक्षक के मानदेय में पारदर्शिता लाने हेतु संबंधित का मानदेय राशि सीधे खाते में जमा किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ राज्य के युवाओं को कौशल विकास का अधिकार अधिनियम, 2013 के अंतर्गत विभागीय एवं अन्य विभागीय योजनाओं के तहत संचालित कौशल विकास प्रशिक्षण प्रावधानिक दिशा–निर्देश लागू होंगे तथा इस संबंध में केन्द्र शासन एवं राज्य शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देश यथावत रहेगा। अतः उपरोक्तानुसार दिशा–निर्देश प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त उपरान्त जारी की जाती है। यह आदेश जारी दिनांक से प्रभावशील होगा।

13/3/18

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण
रायपुर, छत्तीसगढ

क्रमशः...........

पृ. कमांक /1719A/ छराकौविप्रा / स्था. / 2018 रायपुर, दिनांक 13 / 03 / 2018

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, छ0ग0 शासन, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर ।
2. सहायक संचालक, समस्त जिला कौशल विकास प्राधिकरण छ0ग0 ।
3. नोडल अधिकारी / प्राचार्य / सहायक परियोजना अधिकारी, जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी, समस्त जिला छ0ग0 ।
4. समस्त अधिकारी व शाखा प्रभारी अधिकारी, छ00ग राज्य कौशल विकास प्राधिकरण एवं राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी रायपुर।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

13/3/18

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण
रायपुर, छत्तीसगढ